न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमना, (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— **श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)**
राजस्व आवेदन संख्या :— **106/2021**

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. ग्राम पंचायत भीमथल पंचायत समिति धोरीमना जिला बाड़मेर जरिये सरपंच। 2. ग्राम पंचायत भीमथल पंचायत समिति धोरीमना जिला बाड़मेर जरिये ग्रामसेवक एवम् पदेन सचिव।		1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना जिला बाड़मेर। 2. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमथल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने नक्शा (लट्ठा ट्रेस) में तरमीम दुरस्ती

तारीख रजू : 07/12/21

अधिवक्तागण :— श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी।

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 15/12/23

प्रार्थीगण के एक आवेदन मय अधिवक्ता न्यायालय हाजा में पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 278/2 क्षेत्रफल 0.1133 हैक्टेयर, 278/3, क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा भीमथल पटवार मण्डल भीमथल तहसील धोरीमना में आई हुई है। जिसकी जमाबन्दी व नक्शा प्रति सलग्न है। विप्रार्थी संख्या 02 शिक्षा विभाग के नाम खसरा नम्बर 278/4 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा भीमथल पटवार मण्डल भीमथल तहसील धोरीमना में स्थित है। जिसकी जमाबन्दी नकल व नक्शा सलंग्न है। ग्राम भीमथल के खसरा नम्बर 278/2 में विप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा हैं तथा मौके पर स्कूल व खेल मैदान बना हुआ है। ग्राम भीमथल के खसरा नम्बर 278/4 के कुछ स्थानों [illegible] परिवारों क आवास बने हुऐ हैं मौके पर आबादी बसी हुई है। [illegible] 278/2 की भूमि खसरा नम्बर 278/3 में पंचायत घर बना हुआ हैं जो [illegible] नक्शा लट्ठा में परिशिष्ठ ''ए'' के अनुसार वर्तमान में नक्शा दर्शाए अनुसार है। तरमीम कर दी गई जो भूल वंश अशुद्ध नक्शा लट्ठा में तरमीम कर दी गई जबकि मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:45:49 IST
Reason: SelfAttested

15/12/23
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार कब्जा, निर्माण, आबादी भूमि है। प्रार्थीगण भूमि का हल्का पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा पूर्व में राजस्व रेकर्ड में तरमीम करते समय प्रार्थीगण के मौके व कब्जे अनुसार नहीं कर अशुद्ध परिशिष्ठ ''ए'' के अनुसार कर दी गई हैं। जो मौके व कब्जे से भिन्न है, की जानकारी प्रार्थीगण को अर्सा एक माह पूर्व हुआ है। संबंधित हल्का पटवारी व भू0 अभिलेख निरीक्षक ने प्रार्थीगण की भूमि का भूल से नक्शा लट्ठा में तरमीम अशुद्ध (गलत) है। लट्ठा ट्रेस में तरमीम शुद्धी करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण का अपने भूमि सलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार कब्जा है जो आंवटन से लगातार निर्बाध चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थीगण की अपना–अपना निर्माण आदि बने हुए है। परन्तु लट्ठा नक्शा में तरमीम करते वक्त वादग्रस्त भूमि की मौके के अनुसार तरमीम नहीं की गई जो दुरस्ती करवाने का प्रार्थीगण अधिकारी है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। विवादित भूमि मौजा भीमथल पटवार क्षेत्र भीमथल तहसील धोरीमना में अवस्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। अतः श्रीमानजी के समक्ष तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 278/2 क्षेत्रफल 0.1133 हैक्टेयर, 278/3, क्षैत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा भीमथल पटवार मण्डल भीमथल व विप्रार्थी संख्या 02 शिक्षा विभाग के नाम खसरा नम्बर 278/4 क्षैत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा भीमथल पटवार मण्डल भीमथल तहसील धोरीमना के वर्तमान तरमीम परिशिष्ठ ''ए'' के स्थान पर परिशिष्ठ ''ब'' तरमीम मौका कब्जानुसार सही लट्ठा नक्शा में तरमीम करने का आदेश प्रदान करावें का आवेदन पत्र पेश किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया।

विप्रार्थी संख्या 02 प्रधानाचार्ज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमथल का प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का जवाब लिखवाया निम्न प्रकार से हैं :– आवेदन पत्र के पद संख्या 01 रिकॉर्ड अब ... से सही है। आवेदन पत्र के पद संख्या 02 रिकॉर्ड ... होने से सही है। आवेदन पत्र के पद संख्या 03 सही होने से स्वीकार है। आवेदन पत्र के पद संख्या 04 सही होने से स्वीकार है। आवेदन पत्र के पद संख्या 05 कानूनी है। आवेदन पत्र के पद

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:45:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

15/12/23

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

संख्या 06 कानूनी है। आवेदन पत्र के पद संख्या 07 कानूनी है। आवेदन पत्र के पद संख्या 08 कानूनी है। आवेदन पत्र के पद संख्या 09 कानूनी है। आवेदन पत्र के पद संख्या 10 कानूनी है। आवेदन पत्र के पद संख्या 11 कानूनी है। अतः निवेदन हैं कि फर्द मौका व नक्शा परिशिष्ट ''ब'' अनुसार तरमीम सही करना उचित हैं तथा तरमीम बदलने पर राजस्व का किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। तरमीम सही करने पर शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है जो जबाब सामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार धोरीमन्ना से पत्र कमांक भू.अ./2022/982 दिनांक 13.06.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्रस्तावित स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'बी' में लाल रंग से दर्शित है जो सामिल मिसल किया गया।

हम विवेचना करते है –

136. गलतियों का शुद्धिकरण – **भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना, हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे।**

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को हितबद्ध पक्षकार विप्रार्थी संख्या 02 शिक्षा विभागन ने स्वीकार किया हैं कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख किया है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन रेकर्ड दुरस्ती का तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार हम प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:45:49 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक [illegible] का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम [illegible] साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण [illegible] वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा भीमथल

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

15/12/23

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

पटवार मण्डल भीमथल तहसील धोरीमना की भूमि खसरा नम्बर 278/2 क्षैत्रफल 0.1133 हैक्टेयर, व विप्रार्थी संख्या 02 शिक्षा विभाग के नाम खसरा नम्बर 278/4 क्षैत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि के **की तरमीम शुद्धिकरण करने का आदेश दिये जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्र कमांक भू.अ./2023/982 दिनांक 13.06.2023 के संलग्न मौका रिपोर्ट परिशिष्ट "ब" अनुसार रेकर्ड में अलमदरामद करने के आदेश दिये** जाते **है। मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग व अंश रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।**

15/12/23

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला-बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक–15/12/23 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

15/12/23

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला-बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:45:49 IST
Reason: SelfAttested